

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	--

28/12/2022

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। यह अपील सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 206/2013 बउनवान हइमान बनाम बालू में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 01.07.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा आनन्दपुर कालू चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 803 रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा की स्थित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेश पारित किये। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी में 1/3 हक-हिस्से की भूमि को जरिये पंजीबद्ध बेचाण दस्तावेज के अपीलाण्ट व रेस्पोंडेंट राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री पोकररामजी को बेचान की गई। अपीलाण्ट अपनी खरीदशुदा भूमि को उपयोग-उपभोग करने, बेचाण व अन्य रूप से अन्तरित करने का पूर्ण रूप से हक-अधिकार प्राप्त है। उक्त अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय पारित किया गया है। अतः अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट का उक्त खरीदशुदा आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 01.07.2013 को स्थगन आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी को आगे से आगे बेचान करने पर आमादा है, जबकि रेस्पोंडेंट संख्या 1 का विवादित आराजी में कानूनन हक व अधिकार निहित है जिसका निर्धारण मूल वाद में किया जाना है। वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति रखे जाने का आदेश फरमावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण ने अपने आदेश दिनांक 01.07.2013 के द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

वादग्रस्त आराजी के बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया है। आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहाँ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणों को अभिलेखित करना चाहिए।

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक 01.07.2013 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जबकि विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। एवं सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 206/2013 बउनवान हड़मान बनाम बालू में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 01.07.2013 को अपास्त किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर एक माह के अन्दर विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। उक्त निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पानी